भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 82

उत्तर देने की तारीख 2 दिसंबर, 2024

सोमवार, 11 अग्रहायण 1946 (शक)

युवाओं के लिए जापानी भाषा का प्रशिक्षण

***82. श्री सुरेश कुमार शेटकर:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुआयामी कौशल विकास प्रयास के रूप में युवाओं के लिए जापानी भाषा के प्रशिक्षण को शामिल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) जापान की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की भारी कमी का हवाला देते हुए, क्या सरकार की कुशल लोगों के लिए जापानी भाषा से संबंधित व्यापक प्रशिक्षण की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा अब तक क्या प्रगति हासिल हुई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"युवाओं के लिए जापानी भाषा प्रशिक्षण" के संबंध में माननीय सांसद श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *82 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) जी हां, भारत सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु अपनी बहुआयामी कौशल विकास कार्यनीति के एक भाग के रूप में जापानी भाषा प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है।

भारत सरकार ने भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों और लोगों के बीच आदान-प्रदान को मजबूत करने के सबसे कुशल तरीकों में से एक के रूप में जापानी भाषा शिक्षा पर विशेष महत्व दिया है। परिणामस्वरूप, भारत में जापानी भाषा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर 2017 में हस्ताक्षर किए गए, और 2023 में इसे नवीनीकृत किया गया, भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) और नई दिल्ली में जापानी दूतावास के बीच, जिसका उद्देश्य (i) शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है जो बदले में कार्यबल सहित अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और (ii) देश के विभिन्न हिस्सों में जापानी भाषा के नए पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। जापान फाउंडेशन द्वारा अब तक एमओसी के अंतर्गत कुल 850 शिक्षकों को 360 घंटों तक का प्रशिक्षण दिया गया है, जो एमओसी के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी है।

विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध अनुमान के अनुसार, भारत में 300 से अधिक निजी संचालित जापानी भाषा प्रशिक्षण संस्थान हैं। जापानी भाषा प्रशिक्षण प्रयासों को गति देने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में, विदेश मंत्रालय ने 30 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संपर्क किया है और (i) जेआईसीए के जापानी भाषा स्व-सेवक शिक्षकों अथवा उपर्युक्त एमओसी के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों को खोजने या चैनलाइज़ करने; (ii) पाठ्यक्रम के निर्माण और पाठ्यपुस्तकों के चयन/उपयोग में संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करने; (iii) शिक्षण पद्धति में शिक्षकों का मार्गदर्शन करने; और (iv) 18 संस्थानों में जापानी भाषा के प्रचार में जापानी कंपनियों के सीएसआर समर्थन को जोड़ने में सुविधा प्रदान की है।

भारतीय प्रशिक्षुओं की जापान में आवाजाही के लिए वर्ष 2017 में भारत के कौशल विकास और उद्यमिशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और जापान के न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के बीच तकनीकी इंटर्न ट्रेनी प्रोग्राम (टीआईटीपी) पर सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस एमओसी के तहत, जापानी भाषा प्रशिक्षण के साथ-साथ जापानी जीवनशैली, संस्कृति, शिष्टाचार और प्रासंगिक डोमेन में प्रशिक्षण 3-5 वर्ष की अवधि के लिए जापान में शिक्षुता के लिए उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा, जापान में भारतीय कुशल श्रमिकों के रोजगार के लिए वर्ष 2021 में भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) और जापान की आप्रवासन सेवा एजेंसी के बीच निर्दिष्ट कौशल श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए। इसी तरह, शिक्षुता और रोजगार के लिए जापानी भाषा प्रशिक्षण टीआईटीपी और एसएसडब्ल्यू दोनों का एक मुख्य घटक है।

*****